



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 260787

I certify the signature/T.I.
of Executants/deponent who
has/have signed before me.

राजकुमार ठुकराल
निवासी बी-29, आदर्श कालौनी
रुद्रपुर जिला उधमसिंहनगर

उत्तराखण्ड विधानसभा निर्वाचन में '66 रुद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र' से निर्वाचन हेतु रिटनिंग आफोसर के समक्ष शपथ पत्र जो प्रमाणित व हस्ताक्षरित संलग्नक 01 पृष्ठ, (पृष्ठ 15 का 6) प्रारूप 26 के अनुसार है।

राजकुमार ठुकराल

पुत्र श्री खानचन्द ठुकराल

निवासी बी-29, आदर्श कालौनी

रुद्रपुर जिला उधमसिंहनगर

Sworn and Affirmed before me by
Sri/Smt./Km.....Raj Kumar Thakur
Deponent(s) Identity by Sri. Kailash Badlani;
The Contents of the Affidavit is
Rudrapur on....21/12/2012.....
After further understand the Cont
ents read over to him.

प्रलेप 26

(नियम 4क देखिए)

निर्वाचन क्षेत्र से

66. रुद्रपुर
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र।

मैं राजकुमार 63247 पुत्र/पुत्री/प्रत्नी रमेश कुमार उत्तराखण्ड 45 वर्ष.....

जो B-29, आपदी बालोनी, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ—

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के काले समय से अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अपराधीयता मुक्तिया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त होता वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं F.I.R.No - 831/2004
 (II) पुलिस थाना (थाने) रुद्रपुर जिला (जिले) उत्तराखण्ड राज्य उत्तराखण्ड
 (III) साबम्भित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है अतग्रह धारा - 147, 332, 353, 342, 504, 506 /PC एवं 7 का A अट
 (IV) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की कई अवधारणा द्वारा दर्शायी गई हैं।
 (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था 21-7-2011
 (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/हैं 1।

2. गुड़े किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 5 की उपधारा

(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 1।
 (II) न्यायालय, जिसने दंडित किया है 1।
 (III) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) उत्तराखण्ड X
 (IV) साबम्भित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है ।
 (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे X
 (VI) साबम्भित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है ।

स्थान:- रुद्रपुर

तारीख:- 9/11/12

सत्यापन

मैं, ऊपर नाप्रित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वर्त्तु भें इस्तेवास का नाम और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाव निष्ठा नहीं है और कोई तात्पर्य वाला छिपाई नहीं गई है।

Sri/Smt./Km... Raj Kumar... Mukherjee
Deponent(s) Identify by Sri... K.K. Deekha
The Contents of the Affidavit at

Rudrapur दिनी : इस प्रकार के स्वाक्षर जो अभिसाक्षी को लाए नहीं है, फाट दिए जाए।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पात्र 15 द्वारा